मार्गदर्शिका

युवा उत्सव



उच्चशिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

मार्गदर्शिका

युवा उत्सव

मध्य प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

संकलन एवं संपादन
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

हमारा मन्तव्य

शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्री प्रदान करना ही नहीं है बल्कि युवाओं को संस्कारवान, विचारवान एवं बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाना भी है। उच्च शिक्षा का एक मंतव्य यह भी है कि देश के युवाओं के व्यक्तित्व के चहुँमुखी विकास के लिए अनुकूल अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जाऐं। इसी के मद्देनजर युवा उत्सवों का आयोजन महाविद्यालयों एवं विश्व विद्यालयों में 1985 से विधिवत एवं व्यवस्थित ढंग से प्रारम्भ किया गया था।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की प्रत्येक संस्था (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय) एक सांस्कृतिक कैलेण्डर के अनुरुप छात्र-छात्राओं में संगीत, साहित्य, रंगमंच, चित्रकला एवं वास्तुकला आदि गतिविधियों का आयोजन करती है। इस प्रकार की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं से युवाओं में सृजनात्मकता एवं स्पर्धात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। इतना ही नहीं इन सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन से हम अपनी शानदार सांस्कृतिक धरोहर को संवर्धित भी करते हैं।

हमें प्रसन्नता है कि 1986 में भारत सरकार द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सांस्कृतिक चेतना के उद्देश्य को मध्यप्रदेश राज्य की शिक्षण संस्थाओं में गम्भीरतापूर्वक लागू किया गया है। हमारा विश्वास है कि हमारे ये सांस्कृतिक अभियान न केवल राष्ट्रीय एकता के लिए बल्कि हमारी 'अनेकता में एकता' वाली चेतना को पुख्ता बनाते है। इस प्रकार हम राष्ट्रीयता की भावनाओं से परिपूर्ण और साम्प्रदायिक सद्भाव से भरपूर युवा नागरिकों को गढ़ते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि युवा उत्सवों के आयोजन के लिए एक मार्गदर्शिका का प्रकाशन हो। इसी उद्देश्य से यह मार्गदर्शिका आपके हाथो में है।

आशा एवं विश्वास है कि यह प्रकाशन उपयोगी होगा।

डॉ. भागीरथ प्रसाद
प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश शासन

अपनी बात

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि विगत लगभग बीस वर्षों में युवा उत्सवों के सफल आयोजन में वर्ष 1985 मे प्रकाशित मार्गदर्शिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

इस दौरान कई ऐसे परिवर्तन हुए जिससे हमें इस मार्गदर्शिका को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई। पहली बात तो यही कि हमारे प्रदेश के विभाजन होने पर हमारे तीन महत्वपूर्ण विश्व विद्यालय हमसे अलग हो गए। दूसरे भारतीय विश्व विद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्धारा आयोजित क्षेत्रिय एवं राष्ट्रीय युवा उत्सवों में आयोजित विधाओं की संख्या हमारे राज्य के युवा उत्सवों की विधाओं से अधिक होती हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री उमाशंकर गुप्त ने सुझाव दिया कि हमारे प्रदेश के युवा विद्यार्थियों को भी भारतीय विश्व विद्यालय संघ द्वारा निर्धारित विभिन्न 22 विधाओं में भाग लेने के अवसर दिये जाऐं । तदनुसार उन्होंने स्वयं मार्गदर्शिका के पुनरीक्षण की सहमति एवं स्वीकृति प्रदान की। उनकी इस सदाशयता के प्रति हम कृतज्ञ हैं ।

प्रदेश के सभी विश्व विद्यालयों के छात्र कल्याण अधिष्ठाताओं ने मार्गदर्शिका के पुनरीक्षण पर न केवल अपनी सहमति जताई बल्कि सभी ने अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किए। हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं । मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मार्गदर्शिका के पुनरीक्षण एवं प्रकाशन प्रसारण का दायित्व उठाने के लिए जीवाजी विश्व विद्यालय, ग्वालियर ने पहल की। लिहाजा जीवाजी विश्व विद्यालय, ग्वालियर के छात्र कल्याण अधिष्ठाता डा. धीरेन्द्र सिहं चंदेल के नेतृत्व में उनके सहयोगियों प्रो. मधुमास चन्द्र खरे (भूविज्ञान विभाग) एवं डा. गोविंद गंधे (संस्कृत विभाग) ने पूरी निष्ठा एवं लगन से यह मार्गदर्शिका प्रस्तुत की है जो आपके हाथों में है। उनके इस गम्भीर प्रयास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

मार्गदर्शिका के प्रकाशन में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग डा. भागीरथ प्रसाद एवं आयुक्त उच्च शिक्षा श्री एस.डी. अग्रवाल जी का मार्गदर्शन हमें निरन्तर मिला। हम उनके आभारी हैं।

आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह पुनरीक्षित मार्गदर्शिका युवा उत्सव के आयोजन में आयोजकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। समय-समय पर आने वाली समस्याओं एवं परेशानियों के दृष्टिगत हम इसमें सुधार भी करेंगे।

शुभकामनाओं के साथ

महेन्द्र नागर
राज्य जन संपर्क अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

अनुक्रम

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ
(1)	**पृष्ठ भूमि एवं उद्देश्य**	7
(2)	**प्रतियोगिताओं का वर्गीकरण**	8
	2.1 सांस्कृतिक पक्ष	
	2.2 साहित्यिक पक्ष	
	2.3 रुपांकन पक्ष	
(3)	**प्रतियोगिताओं का स्वरुप एवं सहभागी संस्थायें**	9
	3.1 महाविद्यालय स्तर युवा उत्सव	
	3.2 जिला स्तर युवा उत्सव	
	3.3 विश्वविद्यालय स्तर युवा उत्सव	
	3.4 राज्य स्तर युवा उत्सव	
	3.5 प्रतियोगिताओं हेतु दलों का गठन	
(4)	**आयोजन**	11
	4.1 आयोजन अवधि	
	4.2 आयोजन स्थल	
(5)	**पात्रता एवं प्रविष्टि**	12
	5.1 पात्रता	
	5.2 परिचय प्रविष्टि	
	5.3 परिचय पत्र	
(6)	**व्यवस्थापन**	13
	6.1 प्रतियोगी/दल का दायित्व	
	6.2 आयोजक का दायित्व	
	6.3 आयोजन सहयोग राशि	
	6.4 प्रतियोगिओं की आवास-भोजन व्यवस्था	
	6.4 ध्वज एवं बैनर	

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ
(7)	**युवा उत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विद्यावार नियम**	17
	7.1 एकल गायन (शास्त्रीय)	
	7.2 एकल वादन (परकुशन)	
	7.3 एकल वादन (नान परकुशन)	
	7.4 सुगम गायन	
	7.5 एकल गायन (पाश्चात्य)	
	7.6 समूह गायन (भारतीय)	
	7.7 समूह गायन (पाश्चात्य)	
	7.8 लोक/आदिवासी नृत्य	
	7.9 शास्त्रीय नृत्य (भारतीय)	
	7.10 प्रश्नमंच	
	7.11 वाद-विवाद	
	7.12 वक्तृता	
	7.13 एकांकी	
	7.14 स्किट	
	7.15 मूकाभिनय	
	7.16 दृष्य चित्रण	
	7.17 कोलॉज	
	7.18 पोस्टर निर्माण	
	7.19 क्ले मॉडलिंग	
	7.20 कार्टूनिंग (व्यंग्य चित्र)	
	7.21 रंगोली	
	7.22 मिमिक्री	
(8)	**प्रस्तुतिकरण**	35
	8.1 प्रविष्टि-प्रपत्र	
	8.2 प्रस्तुति की पुनरावृत्ति	
	8.3 प्रतिवाद	
(9)	**प्रमाण-पत्र एवं पारितोषिक**	35
(10)	**वित्त प्रबन्ध**	37

पृष्ठभूमि

अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष (1985) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में युवा-उत्सव के आयोजनों की जो योजना क्रियान्वित की गई है, उससे संस्थानों में बाहर से आहूत सांस्कृतिक दलों के माध्यम से होने वाले वार्षिक स्नेह सम्मेलन के अयोजन प्रायः समाप्त हो रहे हैं। अब संस्थायें अपने ही छात्र-छात्राओं में प्रतियोगिताओं के माध्यम से सांस्कृतिक और साहित्य चेतना के विकास में जुट गयी है। इस श्रेयस्कर परिवर्तन का बहुत बड़ा एक कारण प्रदेश स्तर के युवा-उत्सवों का प्रयोजन भी है। इन युवा उत्सवों को कई स्तरों पर देखा परखा जाता है।

अपनी संस्था में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक एवं बौद्धिक कार्यक्रमों में शीर्ष स्थान प्राप्त छात्र जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में और जिला स्तर पर शीर्षस्थ छात्र विश्वविद्यालयीन स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में और वहाँ से शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में सह-भागिता सुनिश्चित होती है। इस प्रकार युवा-उत्सव की विभिन्न सांस्कृतिक-बौद्धिक विधाओं में भागीदारी कर छात्र-छात्राएं अपनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर अभिरुचियों और कला-क्षमताओं का प्रर्दशन और विकास करते हैं।

उद्देश्य

- ★ विद्यार्थियों में युवा-उत्सवों के माध्यम से महाविद्यालय, जिला, विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर पर कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना एवं प्रोत्साहित करना।
- ★ विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं भाईचारे की भावना का विकास करना।
- ★ युवावों में अपने क्षेत्र, राज्य एवं देश की सांस्कृतिक विरासत को पहचानने एवं उसे संवर्धित करने के अवसर प्रदान करना।
- ★ विद्यार्थियों को एक ऐसा सामूहिक अवसर (मंच) प्रदान करना जहाँ वे अपनी सांगीतिक, कलात्मक, रुपांकन, रंगमंचीय एवं साहित्यिक क्षमताओं व प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके।
- ★ विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और उर्जा का सामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों हेतु रचनात्मक प्रयोग।

प्रतियोगिताओं का वर्गीकरण

महाविद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक आयोजित होने वाले सांस्कृतिक, साहित्यिक सांगीतिक एवं रुपांकन पक्ष को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिताओं का वर्गीकरण निम्नानुसार है।

सांस्कृतिक पक्ष -

- एकल नृत्य (शास्त्रीय)
- समूह नृत्य/लोकनृत्य
- एकांकी
- मूकाभिनय
- स्किट
- मिमिकरी

सांगीतिक पक्ष -

- एकल गायन (शास्त्रीय)
- एकल गायन (सुगम)
- समूहगान (भारतीय)
- समूहगान (पाश्चात्य)
- एकल वादन (परकुसन एव नान परकुसन)
- सुगम गायन
- एकल गायन (पाश्चात्य)

साहित्यिक पक्ष -

- वाद-विवाद
- वक्तृता
- प्रश्नमंच

रुपांकन पक्ष -

- स्पाट पेन्टिंग (चित्रकला)
- क्ले मॉडलिंग (मूर्तिकला)
- रंगोली
- कोलॉज
- पोस्टर निर्माण
- कार्टूनिंग

प्रतियोगिता का स्वरूप एवं सहभागी संस्थाएँ

उपर्युक्त प्रतियोगितायें चार स्तर पर आयोजित की जायेंगी। प्रत्येक स्तर पर इसे ''युवा-उत्सव'' कहा जायेगा।

(क) महाविद्यालय,
(ख) जिला,
(ग) विश्वविद्यालय एवं
(घ) राज्य स्तर

3.1 महाविद्यालय स्तर युवा उत्सव

युवा उत्सव में छात्र-छात्राओं की अधिकतम सहभागिता हो सके इसलिए महाविद्यालय एवं संस्था स्तर पर इन प्रतियोगिताओं का आयोजन, व्यापक प्रचार-प्रसार के उपरांत निम्नलिखित में से किसी एक विधि से किया जायेगा।

क. **अन्तरकक्षा प्रतियोगिता-** यदि संस्था में छात्र संख्या 300 से कम है तो प्रत्येक कक्षा (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) को एक दल मानकर प्रतियोगिता करायी जायेगी।

ख. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के प्रत्येक विभाग/संकाय को एक दल मानकर करायी जायेगी।

ग. यदि महाविद्यालय में 300 से अधिक विद्यार्थी है तो संस्था प्रमुख सुविधानुसार संख्या के आधार पर संकाय/सदन/दल निर्मित कर प्रतियोगिता आयोजित करायेंगे।

घ. महाविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन उच्च शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले समस्त शासकीय, अशासकीय एवं व्यवसायिक शिक्षा (आर्युविज्ञान, दन्त चिकित्सा, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा महाविद्यालय) महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों द्वारा किया जायेगा।

3.2 जिला स्तर युवा उत्सव

क. जिला स्तर युवा उत्सव की प्रतियोगिताएं उस जिले हेतु चिन्हित संस्था की संगठन व्यवस्था के अंतर्गत होंगी। चिन्हित संस्थाओं के प्रमुख जिले की संस्था प्रमुखों की एक बैठक कर विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थलों का बटवारा करेगे।

ख . जिस जिले में दस या अधिक संस्था है वहाँ एक विधा की अन्तर संस्था प्रतियोगिता आयोजित करने का दायित्व किसी एक संस्था को दिया जाये । इस प्रकार विभिन्न महाविद्यालयों में अलग-अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन हो सकेगा। यह व्यवस्था विद्यार्थियों में सांस्कृतिक चेतना विकसित करने और आयोजन व्यवस्था की दृष्टि से उचित होगी ।

ग . जिस जिले में दस से कम महाविद्यालय है वहां जिला मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्य एक बैठक आयोजित कर युवा उत्सव की रुपरेखा बनायेंगे ।

टीप - आयोजन में समन्वयक का दायित्व जिले की चिन्हित संस्था के प्रमुख का होगा ।

घ . वे सभी संस्थाएं जिनका उल्लेख 3.1 (घ) में किया गया है, वे जिला स्तर पर युवा उत्सव में भाग लेंगी ।

ड . राज्य में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्षेत्राधिकार के अंन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जिले में युवा उत्सव आयोजित किया जायेगा ।

3.3. विश्वविद्यालय युवा-उत्सव-इन प्रतियोगिताओं का आयोजन निम्नलिखित विश्वविद्यालय करेंगे -

1. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
3. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
4. डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
5. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
7. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
8. महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

3.4 राज्य स्तर युवा उत्सव -

क. 3.3 में दर्शाये गये विश्वविद्यालयों के प्रतियोगी राज्य स्तर युवा उत्सव मे भाग लेंगे । इस प्रकार यह अन्तर्विश्वविद्यालय राज्य स्तर युवा उत्सव कहलायेगा ।

ख . राज्य स्तर युवा उत्सव प्रतिवर्ष, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किसी एक विश्वविद्यालय की संगठन व्यवस्था में आयोजित किया जायेगा, जो कि चक्रानुक्रम से होगा।

3.5 प्रतियोगिता हेतु दलों का गठन

क . महाविद्यालय स्तर पर प्रत्येक विधा में घोषित संख्या के अनुसार चयनित प्रतियोगी/दल महाविद्यालय दल के रुप में जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगा।

ख . जिला स्तर पर संबंधित विधा में प्रथम स्थान अर्जित करने वाला प्रतियोगी/दल विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेगा।

ग. विश्वविद्यालय स्तर पर संबंधित विधा में प्रथम स्थान अर्जित करने वाले प्रतियोगी/दल राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेगा।

आयोजन

★ संस्था स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन अधिकतम चार दिनों का होगा। प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रातः अथवा सायंकाल के समय अथवा अवकाश के दिनों में किया जायेगा ताकि शैक्षणिक गतिविधियॉ प्रभावित न हों।

★ जिला, विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर पर युवा उत्सवों का आयोजन त्रि-दिवसीय होगा और यथासंभव यह अवकाश के दिनों का अधिकतम लाभ लेते हुए किया जायेगा।

★ शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा अध्यापन कार्य में न्यूनतक व्यवधान हो, इसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तर पर युवा-उत्सव का अयोजन यथासंभव निम्नलिखित के अनुसार किया जायेगा।

क. महाविद्यालय स्तर - अक्टूबर का प्रथम सप्ताह

ख . जिला स्तर - अक्टूबर माह का तृतीय सप्ताह

ग . विश्वविद्यालय स्तर - नवम्बर माह का प्रथम सप्ताह

घ. राज्य स्तर - माह दिसम्बर-जनवरी

4.2 आयोजन स्थल

★ युवा उत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध हॉल अथवा सभागृह में किया जायेगा। यदि किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में बड़े हॉल या सभागार

नहीं है तब नगर में स्थित अन्य शैक्षणिक अथवा अन्य संस्थाओं के सभागार में यह आयोजन किये जा सकते हैं।

टीप - प्रत्येक स्तर पर होने वाले आयोजन की वास्तविक तिथियों की घोषणा, राज्य शासन के केलेण्डर के अनुसार की जावेगी। इन तिथियों में भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ द्वारा घोषित क्षेत्रीय/राष्ट्रीय युवा उत्सव की प्रतियोगिताओं की तिथियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जा सकेगा।

5. पात्रता एवं प्रविष्टि

5.1 पात्रता

★ प्रत्येक स्तर पर युवा उत्सव की प्रतियोगिताओं में ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगे जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में उस सत्र में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी हो तथा जिनकी आयु प्रतियोगिता वर्ष में 1 जुलाई को पच्चीस वर्ष से अधिक न हो।

टीप -

क. पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का तात्पर्य वह पाठ्यक्रम है जिसकी अवधि कम से कम एक शैक्षणिक सत्र हो परन्तु वह अंशकालीन पत्रोपाधि (डिपलोमा) न हो।

ख. भूतपूर्व विद्यार्थी, अस्थायी विद्यार्थी, सेतु पाठ्यक्रम/पत्राचार में अध्ययनरत विद्यार्थी को प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।

ग. स्नातक स्तर पर पूरक परीक्षा की पात्रता वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्हें वर्तमान शिक्षा सत्र में अगली कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया गया है, उसे युवा उत्सव हेतु नियमित विद्यार्थी माना जायेगा, किन्तु पूरक परीक्षा फल के परिणाम की घोषणा के पश्चात यदि वह अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे अगले स्तर की प्रतियोगिता के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

घ. वह विद्यार्थी जो विगत सम्पूर्ण परीक्षा में बैठा है, किन्तु उसकी विगत परीक्षा का परिणाम घोषित होना शेष है तो उसे परीक्षाफल घोषित होने की तिथि तक नियमित विद्यार्थी माना जायेगा तथा उसे युवा-उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता होगी।

ड. जो प्रतियोगी किसी भी विधा में यदि अपने विश्वविद्यालय का राज्य स्तर पर तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुका है, उसे युवा उत्सव में पुनः उसी विधा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

5.2 क. महाविद्यालय स्तर पर समस्त प्रविष्टियाँ, प्रभारी शिक्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम/स्नेह सम्मेलन के पास जमा की जायेगी।

ख. जिला स्तर पर समस्त प्रविष्टियाँ, चिन्हित संस्था-प्रमुख अथवा उनके द्वारा नियुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी के पास घोषित अंतिम तिथि तक जमा की जायेगी। यह प्रभारी अधिकारी प्राप्त प्रविष्टियों को बैठक (3.2 क) में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में आयोजक संस्था को प्रविष्टियां उपलब्ध करायेंगे तथा आयोजन पश्चात् समस्त संस्थाओं से घोषित परिणाम एकत्र कर संस्था प्रमुख के माध्यम से अगले स्तर पर आयोजन के लिए प्रेषित करेंगे।

ग. विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त प्रविष्टियां जिला-स्तर के चिन्हित संस्था प्रमुख द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के छात्र-कल्याण अधिष्ठाता अथवा नामांकित प्रभारी के पास घोषित अंतिम तिथि तक जमा की जायेगी।

5.3 परिचय-पत्र

जिला, विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के पास परिचय पत्र होना आवश्यक है। विद्यार्थी की फोटो एवं अन्य जानकारी संस्था प्रमुख या विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

6. व्यवस्थापन

6.2 प्रतियोगी/प्रतियोगी दल का दायित्व

क. युवा उत्सव में प्रत्येक स्तर में भाग लेने वाले प्रतियोगी अथवा दल अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ प्रतियोगिता के नियमों का पालन करेंगे।

ख. किसी भी स्तर के आयोजन में अमर्यादित आचरण और अभद्र व्यवहार करने वाले प्रतिभागी के विरुद्ध आयोजन समिति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेगी तथा दोषी पाये जाने पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा एवं आगामी वर्षो की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

6.2 आयोजक का दायित्व

क. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतियोगिता की प्रत्येक विधा में प्रतिभागियों एवं संगतकारों की संख्या निर्धारित है। साथ ही जिला,

विश्वविद्यालयों एवं राज्यस्तर युवा उत्सव में दल की कुल संख्या संगतकार एवं प्रभारी शिक्षकों सहित निर्धारित की गई है। अतः प्रत्येक स्तर पर निर्दिष्ट आयोजक संस्था का यह दायित्व होगा कि मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों एवं नियमों के अनुसार ही प्रतियोगिताओं का आयोजन करें और उसमें विधा हेतु निर्धारित संख्या के अनुसार ही प्रतियोगिताओं की सहभागिता सुनिश्चित करें।

ख . संस्था के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी जिला स्तर की प्रतियोगिता हेतु दल भेजते समय संबंधित विधा/विधाओं के लिये निर्धारित संख्या का सख्ती से पालन करेंगे।

ग . चिन्हित संस्था के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी (जिला संयोजक) विश्वविद्यालय स्तर युवा उत्सव हेतु दल भेजते समय संबंधित विधा/विधाओं के लिए निर्धारित संख्या का सख्ती से पालन करेंगे।

घ . विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, राज्य स्तरीय युवा उत्सव हेतु दल भेजते समय निर्धारित संख्या का सख्ती से पालन करेंगे।

ड . जिला विश्वविद्यालय अथवा राज्य स्तर के लिए निर्धारित संख्या से अधिक सदस्य भेजने वाले दल की प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जायेगा। आयोजन स्थल पर केवल निर्दिष्ट संख्या के अनुरुप भाग लेने वाले कलाकारों के लिए आवास एवं भोजन व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विद्यार्थी को अयोजन स्थल में ठहरने एवं भोजनादि प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई विद्यार्थी जो किसी दल का विधिवत् चयनित प्रतिभागी नहीं है, उपर्युक्त निर्देश अथवा प्रतियोगिता आयोजक के निर्देश का उल्लघंन करने हुये अनुशासनहीनता करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6.3 आयोजन सहयोग राशि

क . महाविद्यालय, जिला एवं विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सवों के लिये प्रतियोगी दल चूंकि अपनी, आवास एवं भोजन व्यवस्था करते हैं, इसलिए आयोजक संस्था को इस हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

ख . राज्य स्तरीय युवा उत्सव में विद्यार्थियों, संगतकारों एवं प्रभारी शिक्षकों की निर्धारित संख्या हेतु आवास तथा भोजन व्यवस्था के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित राशि, आयोजक विश्वविद्यालय को प्रदान करेगा।

ग . किसी विश्वविद्यालय द्वारा आकस्मिक अथवा असामान्य परिस्थितवश राज्य स्तरीय युवा उत्सव में दल भेजने की असमर्थता अथवा आंशिक दल भेजने की स्थिति में भी निर्धारित संख्या के अनुसार अनिवार्य रुप से राशि प्रेषित करनी होगी। तथापि उपर्युक्त कारणों से असमर्थता की स्थिति में आयोजक विश्वविद्यालय को कम से कम पंद्रह दिन पूर्व सूचना प्राप्त होने पर ही निर्धारित राशि के भुगतान से छूट प्राप्त हो सकेगी।

6.4 प्रतियोगियों की आवास एवं भोजन व्यवस्था -

क . प्रतियोगियों की आवास-भोजन व्यवस्था-राज्य स्तरीय प्रतियोगी दल में आने वाले छात्र-छात्राओं की पृथक-पृथक व्यवस्था होगी।

ख . प्रतियोगी मौसम के अनुरुप स्वयं बिस्तर एवं ओढ़ने की वस्तुयें लायेगें।

ग . आयोजन स्थल पर संचालित सामूहिक रसोई द्वारा चाय, नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिये प्रत्येक सदस्य को कूपन प्रदान किये जायेगें।

6.5 ध्वज एवं बैनर -

★ राज्य स्तरीय युवा उत्सवव में भाग लेने वाले प्रत्येक विश्वविद्यालय दल अपने साथ संबंधित विश्वविद्यालय के दो ध्वज एवं विश्वविद्यालय का नाम दर्शाने वाले दो बैनर अनिवार्यतः लायेगा। दल के प्रभारी शिक्षक अपना एक ध्वज आयोजक को प्रदान करेंगे जो उन्हें प्रतियोगिता सामाप्ति के उपरांत वापिस कर दिया जावेगा।

★ विश्वविद्यालयों के नाम वाले बैनर का उपयोग, सांस्कृतिक शोभायात्रा के लिए किया जायेगा।

सहभागी संख्या

क्र.	विधा का नाम	छात्र/छात्राओं की अधिकतमसंख्या	संगतकारों की संख्या	प्रस्तुति की अवधि
1.	एकल नृत्य (शास्त्रीय)	01	3	15 मिनिट
2.	समूह नृत्य/लोक नृत्य	08	3	10 मिनिट
3.	एकांकी	08	-	30 मिनिट
4.	मूकाभिनय (माइम)	05	-	05 मिनिट
5.	स्किट (हास्य नाटिका)	05	-	10 मिनिट
6.	मिमिक्री (उपहास सहित अनुकरण)	01	-	05 मिनिट
7.	एकल गायन (शास्त्रीय)	01	2	15 मिनिट
8.	एकल गायन (सुगम)	01	2	3 से 5 मिनिट
9.	एकल गायन (पाश्चात्य)	01	2	3 से 5 मिनिट
10.	समूह गायन (भारतीय)	06	3	10 मिनिट
11.	समूह गायन (पाश्चात्य)	06	3	10 मिनिट
12.	शास्त्रीय एकल वादन (परकुसन)	01	2	10 मिनिट
13.	शास्त्रीय एकल वादन (नान परकुसन)	01	2	10 मिनिट
14.	वाद विवाद	02	-	05 मिनिट (परिवर्तनीय)
15.	प्रश्न मंच	03	-	-
16.	वक्तृता	01	-	05 मिनिट
17.	स्थल चित्रण (स्पॉट पेंटिंग)	01	-	2 घंटे 30 मिनिट
18.	क्ले माडलिंग	01	-	2 घंटे 30 मिनिट
19.	कोलॉज	01	-	2 घंटे 30 मिनिट
20.	रंगोली	01	-	2 घंटे 30 मिनिट
21.	व्यंग्य चित्र (कार्टूनिंग)	01	-	1 घंटा
22.	पोस्टर निर्माण	01	-	2 घंटे 30 मिनिट
22		57	अधिकतम 10	

टीप : एक दल की अधिकतम संख्या 57 प्रतियोगी 10 संगीतकार एवं दो प्रभारी (एक महिला एवं एक पुरुष) अधिकारी को सम्मिलित करते हुए 69 होगी।

विधाओं का वर्गीकरण यहाँ विस्तार से किया गया है। प्रतियोगिताओं के निर्णय के लिए निर्णय पत्रक के कुछ प्रारुप यहाँ दिये जा रहे है तदनुसार प्रत्येक विधा के लिए आयोजक संस्था निर्णय पत्रक निर्णायको को उपलब्ध करावे। (प्रारुप के आधार पर)

7.1 युवा उत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विधावार नियम

विभिन्न प्रतियोगिताओं में निर्णायको का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

किसी भी प्रतियोगिता में किसी जाति, भाषा, धर्म एवं सम्प्रदाय पर आक्षेप नहीं किया जायेगा।

यह नियमावली केवल राज्य स्तरीय युवा उत्सव के लिए है। अन्य युवा उत्सवों जैसे कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ एवं अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के लिए विश्वविद्यालय अपनी चयन प्रक्रिया के लिए स्वंतत्र होगे।

हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत - एकल गायन

- ★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- ★ प्रत्येक विश्व विद्यालय से केवल एक प्रतियोगी।
- ★ संगत कलाकार अधिकतम दो।
- ★ इस विधा में फिल्मों के गीत नहीं गाए जा सकेंगे।
- ★ स्वर, ताल, राग का चयन एवं सम्पूर्ण प्रभाव के आधार पर निर्णय किया जायेगा।
- ★ गायन के लिए समय 15 मिनिट है।



अन्तर्महाविद्यालय/विश्वविद्यालय ''युवा उत्सव''
एकल गायन (शास्त्रीय पद्धति)

निर्देश :-

(1) एक महाविद्यालय से केवल एक प्रविष्टि होगी।

(2) प्रस्तुति का अधिकतम् समय दस मिनिट है। निर्धारित अवधि से अधिक समय लेने पर प्रति मिनिट तीन अंक काटे जायेंगे।

(3) अधिकतम दो बाहरी संगतकार हो सकते हैं।

मूल्यांकन प्रपत्र - कुल अंक - 50

प्रस्तुति क्रमांक	गायकी	सुरताल का सामंजस्य	समग्र प्रभाव	योग
अंक	25	15	10	50
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

दिनांक

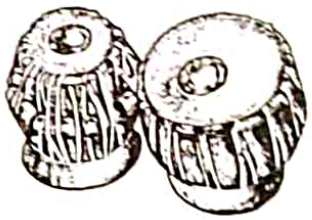
स्थान

निर्णायक के हस्ताक्षर

नाम

7.2 शास्त्रीय वाद्य प्रतियोगिता-एकल वादन

(थाप अर्थात् परकुसन ताल वाद्य)



★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।

★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी।

★ संगत कलाकार अधिकतम दो।

★ प्रतियोगी कलाकार अपने वाद्य यंत्र स्वयं लेकर आयेंगे।

★ ताल, कम्पोजीशन और सम्पूर्ण प्रभाव के आधार पर निर्णय किया जावेगा।

★ वादन के लिए 10 मिनिट का समय निर्धारित है।

7.3 शास्त्रीय वाद्य प्रतियोगिता-एकल वादन

(गैर थाप अर्थात् नान परकुसन ताल वाद्य)



★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।

★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी।

★ संगत कलाकार अधिकतम दो।

★ प्रतियोगियो को अपने वाद्ययत्र स्वयं लाने होगें।

★ पाश्चात्य मूल के वाद्य यंत्रों पर भारतीय रागो का वादन मान्य होगा।

★ वादन के लिए 10 मिनिट का समय निर्धारित है।

★ स्वर ताल राग के चयन, कम्पोजीशन एवं सम्णूर्ण प्रभाव के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

7.4 एकल गायन (सुगम)

★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।

★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी।

★ संगत कलाकार केवल दो।

★ गायन की समयावधि 3 से 5 मिनिट होगी।

★ केवल गीत/भजन/शब्द/अभंग एवं गैर फिल्मी गायन।

★ स्वर, ताल, कम्पोजीशन एवं सम्पूर्ण प्रभाव के आधार पर निर्णय किया जावेगा।

7.5 एकल गायन (पाश्चात्य)

★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।

★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी।

★ संगत कलाकार केवल दो।
★ गायन की समयावधि 3 से 5 मिनिट होगी।
★ अंग्रेजी भाषा का ही गायन मान्य होगा।
★ कम्पोजीशन, लय संयोजन एवं सम्पूर्ण प्रभाव के आधार पर निर्णय किया जावेगा।

7.6 समूह गायन - भारतीय



★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक दल ही भाग ले सकेगा।
★ प्रत्येक दल दो समूह गायन प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें एक देशभक्ति से संबंधित एवं दूसरा लोकगीत होना चाहिए।
★ गायकों की संख्या अधिकतम 6 रहेगी एवं संगत वाद्य कलाकार अधिकतम तीन होंगे।
★ किसी भी क्षेत्रीय भाषा/बोली के भारतीय गीत प्रस्तुत किए जा सकते है।
★ फिल्मी समूह गान अमान्य है।
★ समूह गायन की समयावधि अधिकतम दस मिनिट रहेगी।
★ मंच तय्यारी हेतु प्रत्येक दल को अधिकतम चार मिनिट मिलेंगे।
★ निर्णय का मुख्य आधार गायन की गुणवत्ता पर रहेगा न कि वेशभूषा, रुप सौंदर्य और भाव भंगिमा।

7.7 समूह गायन (पाश्चात्य)



★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
★ एक दल के गायकों की अधिकतम संख्या 6 होगी और संगत वाद्य कलाकार अधिकतम 3 होंगे।
★ केवल अंग्रेजी भाषा के समूह गीत प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
★ समूह गायन की अधिकतम अवधि दस मिनिट रहेगी। मंच तय्यारी के लिए अलग से अधिकतम चार मिनिट दिये जाऐंगे।
★ निर्णय का मुख्य आधार गायन की गुणवत्ता पर रहेगा न कि वेशभूषा, रुप सौंदर्य और भाव भंगिमा।

अन्तर्महाविद्यालय/विश्वविद्यालय ''युवा उत्सव''
एकल वादन (दोनों)/समूह गान/एकल/भारतीय/पाश्चात्य

निर्देश :-

(1) प्रस्तुति में एक समूह गान एवं एक लोकगीत प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(2) दोनों की सम्मिलित प्रस्तुति अवधि का अधिकतम समय दस मिनिट है। निर्धारित अवधि से अधिक समय लेने पर प्रति मिनिट पाँच अंक काटे जायेंगे।

मूल्यांकन प्रपत्र - समूह गान - 50 अंक लोकगीत - 50 अंक

प्रस्तुति क्रमांक		गीत का चयन	गायकी सामंजस्य	लय-ताल का प्रभाव	वाद्य यंत्रों का उपयोग	समग्र प्रभाव	योग
अंक	समूहगान एकल	5	15	15	5	10	50
	लोकगीत गान/वादन	5	15	15	5	10	50
1.	समूहगान लोकगीत						
2.	समूहगान लोकगीत						
3.	समूहगान लोकगीत						
4.	समूहगान लोकगीत						
5.	समूहगान लोकगीत						
6.	समूहगान लोकगीत						
7.	समूहगान लोकगीत						
8.	समूहगान लोकगीत						
9.	समूहगान लोकगीत						
10.	समूहगान लोकगीत						

दिनांक -

निर्णायक के हस्ताक्षर

7.8 लोक/समूह नृत्य

- ★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- ★ प्रत्येक दल में अधिकतम 8 प्रतियोगी रहेंगे। दल के सदस्य चाहें तो केवल पुरुष या युवतियाँ अथवा दोनो ही रह सकते है।
- ★ संगत कलाकार अधिकतम तीन रहेंगे।
- ★ केवल आदिम नृत्य अथवा लोकनृत्य (भारतीय शैली) ही मान्य होंगे न की शास्त्रीय नृत्य।
- ★ नृत्य की अधिकतम समयावधि दस मिनिट की रहेगी।
- ★ पंजीयन के समय प्रवेश-पत्र के साथ ही नृत्य की संक्षिप्त जानकारी एवं कथा तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगी।
- ★ प्रस्तुति के समापन के पश्चात् अपनी नृत्य सामग्री मन्च से हटाने की जिम्मेदारी प्रत्येक दल की होगी।
- ★ निर्णय के आधार होंगे - लय, संयोजन, भाव-भंगिमा, रुप सौंदर्य, वेशभूषा एवं समग्र प्रभाव।



अन्तर्महाविद्यालय/विश्वविद्यालय ''युवा उत्सव''
समूह नृत्य/लोक नृत्य

निर्देश :-

(1) प्रतियोगी दल में अधिकतम पाँच कलाकार रहेंगे। अधिकतम् तीन बाहरी संगतकार हो सकते हैं जो नृत्य में भाग नहीं ले सकते हैं। यदि संगतकार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी हैं तो वे नृत्य में भाग ले सकते हैं। संगतकार नहीं होने पर आठ कलाकार नृत्य में हिस्सा ले सकते हैं।

(2) प्रस्तुति का अधिकतम् समय दस मिनिट है। निर्धारित अवधि से अधिक समय लेने पर प्रति मिनिट पाँच अंक काटे जायेंगे।

प्रस्तुति क्रमांक	नृत्य पद्धति लोक पद्धति का निर्वाह	लय-ताल का सामंजस्य	नृत्य वेश रंग सज्जा	उचित वाद्य यंत्रो का उपयोग	समग्र प्रभाव	योग
अंक	30	25	25	10	10	100

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

दिनांक

स्थान

निर्णायक के हस्ताक्षर

नाम

7.9 एकल नृत्य (शास्त्रीय)

- ★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- ★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक ही प्रविष्ठि मान्य होगी।
- ★ विभिन्न विधाओं के शास्त्रीय नृत्य जैसे - कत्थक, कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी एवं ओड़िसी आदि ही मान्य होंगे।
- ★ प्रत्येक प्रतियोगी को अधिकतम 15 मिनिट की समयावधि मिलेगी। तय्यारी के लिए अलग से समय नहीं मिलेगा।
- ★ अधिकतम तीन संगत कलाकार मान्य होगे।
- ★ ताल, तकनीक, लय, अभिनय या भावमुद्रा, वेशभूषा, पद संचालन एवं समग्र प्रभाव के आधार पर निर्णय होगा।
- ★ पंजीयन के समय नृत्य के महत्व एवं कथा का संक्षिप्त वर्णन तथा गाये जाने वाले गीत को लिखित रुप में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।



अन्तर्महाविद्यालय/विश्वविद्यालय ''युवा उत्सव''
एकल नृत्य (शास्त्रीय)

निर्देश :-

(1) एक महाविद्यालय से केवल एक प्रविष्टि होगी।

(2) अधिकतम तीन बाहरी संगतकार हो सकते हैं।

(3) प्रस्तुति का अधिकतम समय पन्द्रह मिनिट है। निर्धारित अवधि से अधिक समय में कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर प्रतिमिनिट तीन अंक काटे जायेंगे।

(4) नृत्य मान्य शास्त्रीय पद्धति जैसे भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी अथवा मोहिनीअट्टम होना चाहिए।

मूल्यांकन प्रपत्र - कुल अंक - 50

प्रस्तुति क्रमांक	नृत्य का शास्त्रीय निर्वाह	लय-ताल का सामंजस्य	भाव अभिनय	नृत्य वेष रंग सज्जा	समग्र प्रभाव	योग
अंक	0	10	10	10	10	50
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

दिनांक

स्थान

निर्णायक के हस्ताक्षर

नाम

7.10 प्रश्नमंच

- ★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- ★ प्रत्येक विश्वविद्यालय 3 सदस्यों का एक दल भेज सकता है।
- ★ प्रारम्भिक चक्र लिखित होगा तथा इसी आधार पर चयन किया जावेगा।
- ★ अंतिम प्रतियोगिता मौखिक आधार पर, जिसमें दृश्य-श्रव्य आधार पर प्रश्न होंगे, आयोजित होगी।
- ★ मूल्यांकन पद्धति, समय एवं चक्रों की संख्या आदि की जानकारी प्रतियोगिता प्रारंभ होने के समय दी जावेगी।

 प्रश्न मंच के मुल्यांकन की पद्दति क्विज़ मास्टर अपने विवेक से तय कर सकेंगे।

7.11 वाद विवाद

- ★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- ★ एक दल में दो सदस्य होंगे एक पक्ष तथा दूसरा विपक्ष के लिए रहेगा।
- ★ विचार हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में व्यक्त किये जा सकेंगे।
- ★ वाद विवाद का विषय 24 घण्टे पूर्व घोषित किया जावेगा।
- ★ प्रत्येक प्रतियोगी को अधिकतम पाँच मिनिट का समय दिया जावेगा।

7.12 वक्तृता

- ★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- ★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी रहेगा।
- ★ हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में विचार प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- ★ प्रत्येक प्रतियोगी को अधिकतम पाँच मिनट का समय दिया जावेगा।

जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव
विधावार मूल्यांकन-पत्रक के प्रारुप
विधा - वक्तृता

विषय वस्तु	वैचारिक समोजन	शैली उच्चारण	प्रभाव (समग्र)	योग
20	10	15	05	50

दिनांक

स्थान

निर्णायक के हस्ताक्षर

नाम

विधा-वाद-विवाद

वैचारिक स्तर	तर्कशक्ति	अभिव्यक्ति की मौलिकता	उच्चारण/शैली	समग्र प्रभाव	योग
15	10	10	10	05	50

दिनांक

स्थान

निर्णायक के हस्ताक्षर

नाम

7.13 एकांकी



- ★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- ★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक प्रविष्ठि ही मान्य होगी।
- ★ नाटक की समयावधि 30 मिनिट की होगी।
- ★ संकेत मिलने पर दल प्रस्तुति प्रारम्भ करेगा। उसी समय से अवधि की गणना होगी।
- ★ मंच सज्जा एवं मंच सामग्री संयाजन के लए 10 मिनिट दिये जावेगे। नाटक के अंत में मंच सामग्री हटाने के लिए पृथक से समय नहीं दिया जावेगा। आगामी प्रस्तुति के लिए मंच उपलब्ध कराने का दायित्व पूर्ववर्ती दल का रहेगा।
- ★ नाटक दल में अधिकतम 8 सदस्य रहेंगे।
- ★ प्रत्येक दल को अपनी मंच एवं वेषभूषा- रुपसज्जा सामग्री स्वयं लानी होगी।
- ★ पूर्व सूचना देने पर प्रकाश एवं साधारण फर्निचर आदि उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- ★ नाटक का मंचन हिन्दी, अंग्रेजी या क्षेत्रिय भाषा में किया जा सकेगा।
- ★ क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुति देने वाले दल को नाटक की विषय वस्तु हिन्दी/ अंग्रेजी में पंजीयन के समय प्रस्तुत करना होगी।
- ★ प्रतियोगी दलों को अपनी उपस्थिति की जानकारी प्रतियोगिता प्रभारी को मंचन के दो घंटे पूर्व अवश्य देना होगी।
- ★ नाटक की गुणवत्ता जैसे की कथावस्तु, अभिनय कला, मंच सज्जा एवं सज्जा एवं समग्र प्रभाव के आधार पर निर्धारित होगी।
- ★ निर्णायको का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।

7.14 स्किट

- ★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- ★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक दल सम्मिलित हो सकेगा।
- ★ अधिकतम प्रतियोगी 5 रहेंगे।

★ प्रस्तुति की समयावधि 10 मिनट रहेगी।

★ रुप सज्जा, वेशभूषा एवं पार्श्वसंगीत मान्य है।

★ स्किट की कथावस्तु को तीन प्रतियों में पंजीयन के समय प्रस्तुत करना होगा।

★ निर्णय का आधार, कथावस्तु, अभिनय, मंच सज्जा, रचना एवं समग्र प्रभाव रहेगा।

7.15 मूकाभिनय



★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।

★ कलाकारो की अधिकतम संख्या 05 रहेगी।

★ अधिकतम समयावधि 5 मिनिट रहेगी।

★ निर्णय का आधार, विचार, प्रस्तुति की रचनात्मकता, संगीत एवं रुप सामग्री तथा समग्र प्रभाव रहेगा।

7.16 मिमिक्री

★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक प्रतियोगी सम्मिलित हो सकेगा

★ प्रतियोगिता की अवधि पाँच मिनिट रहेगी।

★ फूहड़ या अश्लीन प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।

★ जाति, धर्म, संप्रदाय पर आक्षेप नहीं होगा।



अन्तर्महाविद्यालय/विश्वविद्यालय ''युवा उत्सव''
मिमिक्री/स्किट/एकांकी/मूकाभिनय

निर्देश :-

(1) निर्धारित समय से अधिक प्रस्तुति पर प्रति मिनिट पाँच अंक काटे जायेंगे।

(2) भाग लेने वालों की अधिकतम् संख्या आठ है।

मूल्यांकन प्रपत्र - कुल अंक - 100

प्रस्तुति क्रमांक	कथावस्तु का निर्वाह	पात्रों का अभिनय	कथावस्तु के अनुरुप मंच सज्जा	रंज सज्जा वेषभूषा	प्रकाश ध्वनि संयोजन	समग्र प्रभाव	योग
अंक	25	30	10	15	10	10	100
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

दिनांक

स्थान

निर्णायक के हस्ताक्षर

नाम

7.17 कोलॉज



- ★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- ★ विषय की घोषणा प्रतियोगिता स्थल पर होगी।
- ★ प्रतियोगिता की अवधि अधिकतम ढाई घण्टे घंटे रहेगी।
- ★ प्रतियोगिता को पेस्टिंग सामग्री एवं अन्य उपकरण स्वयं लाने होंगे

7.18 पोस्टर निर्माण

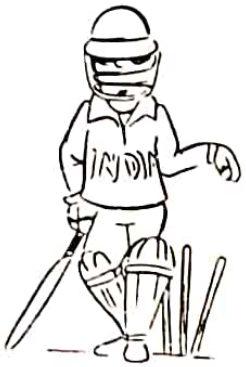
- ★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- ★ दृश्य की घोषणा प्रतियोगिता स्थल पर ही की जावेगी। प्रतियोगी को प्रतियोगिता प्रभारी द्वारा प्रदत्त विषय पर पोस्टर निर्माण करना होगा।
- ★ प्रतियोगिता की अवधि ढाई घण्टे घंटे अधिकतम रहेगी।
- ★ प्रतियोगी को पेपर/शीट आयोजक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा दिया जावेगा। शेष सामग्री उसे स्वयं लानी होगी।

7.19 क्ले माडलिंग



- ★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- ★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतियोगी सम्मिलित हो सकेगा।
- ★ विषय की घोषणा प्रतियोगिता स्थल पर ही की जावेगी।
- ★ मिट्टी (Clay) आयोज्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी।
- ★ प्रतियोगिता की अवधि ढाई घण्टे घंटे अधिकतम रहेगी।

7.20 कार्टूनिंग (व्यंग्य चित्र)



- ★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।
- ★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक प्रतियोगी सम्मिलित हो सकेगा।
- ★ कृति का निर्माण दिये गये विषय या कल्पना के आधार पर ही करना होगा। विषय या कल्पना प्रतियोगिता स्थल पर घोषित किया जावेगा।

★ प्रतियोगिता की अवधि अधिकतम एक घंटा रहेगी।

7.21 रंगोली



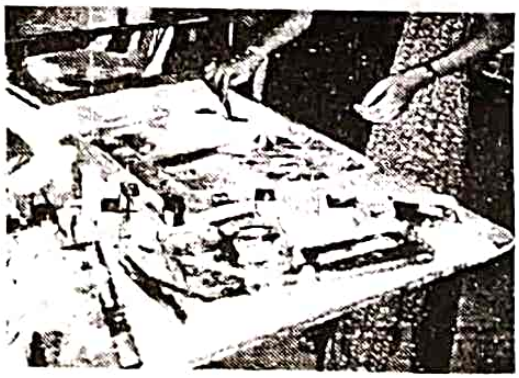
★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।

★ प्रत्येक विश्वविद्यालय से मात्र एक प्रतियोगी सम्मिलित हो सकेगा।

★ प्रतियोगिता की अवधि ढाई घण्टे घंटे अधिकतम रहेगी।

★ प्रतियोगिता की समस्त सामग्री प्रतियोगी को स्वयं लानी होगी। इस कला को विविध क्षेत्रों में विविध नामों से जाना जाता है जैसे-अल्पना, मांडना, आलेखन, कोलम, रंगोली आदि। इसलिये प्रतियोगी माध्यम और आकार के लिए स्वतंत्र है। वर्णनात्मक, चित्रात्मक अथवा मुक्त चित्रण किया जा सकेगा।

7.22 स्थल चित्रण (आन द स्पाट पैंटिग)



★ प्रत्येक स्तर से अगले उच्च स्तर पर केवल एक टीम भाग ले सकेगी।

★ दृश्य विशेष की सूचना प्रतियोगिता स्थल पर ही की जावेगी।

★ प्रतियोगी को प्रतियोगिता प्रभारी के द्वारा प्रदत्त विषय पर ही चित्रांकन करना होगा।

★ प्रतियोगिता की अवधि ढाई घंटे (2 1/2 घंटे) ही होगी।

★ चित्र का आकार 22x15 इंच रहेगा।

★ चित्रांकन हेतु माध्यम आइल, वाटर या पोस्टर कलर रहेगा।

★ चित्रांकन हेतु साम्रगी यथा ब्रुश, रंग आदि प्रतियोगी को स्वयं लाने होंगे। कागज/शीट आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी।

जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव
विधावार मूल्यांकन-पत्रक के प्रारुप
विधा-चित्रकला

रंग चयन	कथ्य	संयोजन	कुल अंक
20	10	20	50

दिनांक

स्थान

निर्णायक के हस्ताक्षर

नाम

विधा-कोलॉज/ पोस्टर/ कार्टूनिंग

विषय के साथ न्याय	रगं रेखाओं एवं अन्य का समन्वय	समग्र प्रभाव	कुल अंक
30	10	10	50

दिनांक

स्थान

निर्णायक के हस्ताक्षर

नाम

विधा- क्ले मॉडलिंग

विषय के साथ न्याय	संयोजन	समग्र प्रभाव	कुल अंक
30	10	10	50

दिनांक

स्थान

निर्णायक के हस्ताक्षर

नाम

निर्णय एवं वाद

★ प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे विविध प्रतियोगिताओं के नियमादि ध्यानपूर्वक पढ़े जो इस पुस्तिका में दिये गये है। विविध प्रतियोगिताओं के लिए नियुक्त निर्णायकों का निर्णय अंतिम होगा। निर्णायको के निर्णय का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। समाधानकारक निर्णय न होने की स्थिति में सम्बधित विषय को प्रतिवाद समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार की असहमति को प्रतियोगिता समन्वयक के पास प्रतियोगिता समाप्त होने के एक घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा। इसके उपरांत निर्णय सम्बन्धी किसी असहमति पर विचार नहीं होगा। नियमों के उल्लंघन अथवा अनुचित तरीके से प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन को लेकर असहमतियाँ वाद के रुप में स्वीकार की जा सकेगी। असहमति शुल्क रु. 200/- जमा करने होंगे जो किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। प्रतिवाद समिति के विरुद्ध कोई असहमति स्वीकार नहीं होगी।

8. प्रस्तुतीकरण

8.1 प्रविष्ठि प्रपत्र :-

क . महाविद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक आयोजित होने वाले युवा उत्सवों के लिए प्रविष्टि भेजने के समस्त प्रारुप एवं प्रपत्र एक समान रहेंगे। उनमें केवल स्तर के नाम की भिन्नता होगी।

ख . महाविद्यालय स्तर की प्रविष्टि महाविद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी, जिला स्तर की प्रविष्टि जिला सांस्कृतिक कार्यक्रम समन्वयक विश्वविद्यालय स्तर की प्रविष्टि संबंधित विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं राज्य स्तर युवा उत्सव की प्रविष्टि आयोजक विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पास निर्धारित/घोषित दिनांक तक जमा कराना आवश्यक होगा।

8.2 प्रस्तुति की पुनरावृत्ति :-

★ कोई भी दल मंचीय विधाओं में सभी स्तरों पर विगत वर्षो में दी गई प्रस्तुतियों की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, अन्यथा यह प्रस्तुति प्रतियोगिता से बाहर मानी जायेगी।

8.3 प्रतिवाद :-

★ किसी विधा की प्रतियोगिता में दिये गये निर्णय के विरुद्ध प्रतिवाद करने का अधिकार केवल प्रभारी का है। प्रतियोगिता से संबंधित समस्त विवादों के निपटारे हेतु तीन सदस्यी प्रतिवाद समिति का गठन चिन्हित संस्था/विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय युवा उत्सव की आयोजक संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। प्रतिवाद समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

9. प्रमाण-पत्र एवं परितोषिक

9.1 महाविद्यालय, जिला एवं विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक विधाओं में श्रेष्ठता क्रम से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान अर्जित करने वाले प्रतियोगी/दल के सदस्यों को विजयी प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे।

9.2 क . महाविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर आयोजक प्रभारी शिक्षक/प्राचार्य के हस्ताक्षर रहेंगे।

ख . जिला स्तर पर प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर चिन्हित महाविद्यालय के प्राचार्य तथा संबंधित विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के हस्ताक्षर होंगे।

ग . विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर संबंधित विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, छात्र कल्याण एवं कुलपति के हस्ताक्षर रहेंगे।

घ . राज्य स्तरीय युवा उत्सव में प्रत्येक विधा में श्रेष्ठता क्रम के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर प्राप्त करने वाले प्रतियोगी/दल के सदस्यों को प्रमाण-पत्र प्रदान किये जावेंगे।

राज्य स्तरीय युवा उत्सव के प्रमाण-पत्र, सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन द्वारा हस्ताक्षरित रहेंगे। राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता प्रतिभागी दल को राज्य शासन द्वारा घोषित नगद पुरस्कार भी दिये जायेगें।

ड . राज्य शासन द्वारा महाविद्यालय, जिला एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कोई पारितोषिक प्रदान नहीं किया जाता है। किन्तु संस्थाएं स्वयं अथवा स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से छात्र-छात्राओं के उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कारों का प्रबन्ध कर सकती हैं।

10. वित्त व्यवस्था

★ आयोजन व्यय :- महाविद्यालय स्तरीय आयोजन व्यय संबंधित महाविद्यालय के आकस्मिक मद से किया जावेगा। जिला स्तरीय आयोजन व्यय आयोजक महाविद्यालय द्वारा वहन किया जावेगा। विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं का व्यय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा राज्य स्तरीय व्यय के लिए धनराशि उच्च शिक्षा विभाग से स्वीकृत की जावेगी।

★ आयोजन के दौरान यात्रा एवं दैनिक भत्ते-जिला, विश्वविद्यालय तथा राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को यात्रा एवं दैनिक भत्ते का व्यय संबंधित महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। प्रत्येक प्रतियोगी को दैनिक भत्ते के रुप में राज्य शासन द्वारा घोषित दर से तथा आने-जाने का वास्तिविक बस/द्वितीय श्रेणी के रेल किराया की पात्रता होगी। जहाँ संभव हो छात्र-छात्राएं रेलवे कन्सेशन से यात्रा करेंगे। प्रतिस्पर्धाओं के दौरान दल प्रभारी के रुप में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों को शासकीय नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ते का भुगतान उनके संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा।

टीप - महाविद्यालय जिला एवं विश्वविद्यालय स्तर पर युवा उत्सवों के लिए छात्र कल्याण, खेलकूद, छात्रसंघ सम्मिलित निधि तथा छात्रों से संबंधित विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध राशि से जो भी सुविधानुसार हो व्यय किया जा सकता है।

प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी

महाविद्यालय के लिए

1. नाम
2. पिता का नाम
3. पता एवं दूरभाष क्रमांक
 (यदि हो तो)
4. जन्म तिथि
5. वर्तमान आयु
6. कक्षा
7. महाविद्यालय/
 शिक्षण विभाग का नाम
8. प्रतियोगिता जिसमें भाग लेना चाहता है :-

(अ)

(ब)

(स)

पासपोर्ट आकार
का
नवीनतम फोटो

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त जानकारी सही है असत्य सिद्ध हाने पर मुझे प्रतियोगिता में भाग लने से निषिद्ध करने अथवा एवं मेरा परिणाम निरस्त करने का समन्वयक, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को पूर्ण अधिकार है।

दिनांक

जबलपुर

प्रतियोगी के हस्ताक्षर

(प्रतियोगी अपना नवीनतम् छायाचित्र उसे महाविद्यालय/शिक्षक विभाग के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी से अभिप्रमाणित करायेंगे।)

टिप्पणी : - महाविद्यालय में इस प्रपत्र की टाइप/फाटोप्रति कराकर प्रतियोगियों को उपलब्ध कराइये। प्रत्येक प्रतियोगी को यह प्रपत्र भरना अनिवार्य है।

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम :-

युवा उत्सव-अन्तर्महाविद्यालयीन/विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हेतु प्रतियोगी की जानकारी

(1) छात्र का नाम :-

(2) कक्षा

(3) जन्म दिनांक

(4) (1 जुलाई, 200 को 25 वर्ष से अधिक न हो)

(5) विधा, जिसमें प्रतियोगी भाग ले रहा है

(6) निवास स्थान का पता

(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती

.....

इस संस्था के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के नियमित छात्र/छात्रा हैं। इनके द्वारा लिखी गई जन्मतिथि व हस्ताक्षर प्रमाणित हैं।

दिनांक (प्रचार्य/विभाग अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

छात्र/छात्रा का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर व मोहर सहित

टीप :- एक से अधिक विधा में भाग लेने पर प्रत्येक विधा के लिए अलग-अलग प्रपत्र भरे जायें।

अन्तर्महाविद्यालय/विश्वविद्यालय ''युवा उत्सव''
निर्णायक का प्रतिवेदन

विधा :
दिनांक :
स्थानः
समय :
कुल अंक : तीनों निर्णायक के अंकों का योग -

प्रस्तुति प्रतियोगी क्रमांक	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय	प्रथम निर्णायक के अंक	द्वितीय निर्णायक के अंक	तृतीय निर्णायक के अंक	योग	श्रेष्ठता क्रम
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

प्रथम निर्णायक के हस्ताक्षर	द्वितीय निर्णायक के हस्ताक्षर	तृतीय निर्णायक के हस्ताक्षर
नाम	नाम	नाम

महामहिम राष्ट्रपति डा. ए. पी.जे. अब्दुल कलाम का युवाओं के लिये प्रेरक संदेश

1. मैं अपनी पढ़ाई और कार्य पूर्णनिष्ठा से करूँगा और श्रेष्ठ बनूँगा।

2. अब से मैं कम से कम दस निरक्षर लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाऊँगा।

3. मैं कम से कम दस पेड़ लगाऊँगा और उनकी अच्छी व नियमित देखभाल करूँगा।

4. मैं शहरों और गाँवों में जाकर पाँच लोगों को नशे और जुएँ की आदत से छुटकारा दिलाऊँगा।

5. मैं बीमार व्यक्तियों का कष्ट दूर करने का निरंतर प्रयास करूँगा।

6. मैं धर्म जाति और भाषा के आधार पर किसी भी भेदभाव का समर्थन नहीं करूँगा।

7. मैं ईमानदार बनूँगाऔर भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का प्रयास करूँगा।

8. मैं एक प्रबुद्ध नागरिक बनने के लिये कार्य करूँगा और अपने परिवार को .आदर्शवान बनाऊँगा।

9. मैं मन्दबुद्धि व शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के साथ सदा मित्रवत् व्यवहार करूँगा और उन्हें हम सब की तरह सामान्य जीवन बिताने में सहयोग दूँगा।

10 मैं अपने देशवासियों और अपने देश की सफलता पर गौरवान्वित होऊँगा।